

Seventeenth Loksabha

>

Title: Half-an-Hour discussion regarding 'Beneficiaries unde PMAY-G'.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I beg to raise a discussion on the points arising out of the answer given by the Minister of Rural Development. ... (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): It is constitutionally wrong..... (*Interruptions*) I strongly condemn whatever he has said in the statement (*Interruptions*)

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) : सभापति महोदय, ... (व्यवधान) । दादा, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि आप बैठ जाएं । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: मिनिस्टर साहब, प्लीज आप इधर एड्रेस कीजिए ।

... (व्यवधान)

श्री गिरिराज सिंह : सभापति महोदय, मैं महताब साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ । महताब साहब एक अनुभवी सांसद हैं । अनुभवी सांसद होने के नाते ... (व्यवधान) । दादा, महताब साहब को डिस्टर्ब न कीजिए ... (व्यवधान) । आपका माइक बंद हो गया है । आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि आप बैठ जाएं । ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Prof. Sougata Ray, your issue has already gone on record. Please be seated. It has already gone on record.

... (*Interruptions*)

श्री गिरिराज सिंह : दादा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा । ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: It has already gone on record. Please be seated. Please cooperate with the Chair.

... (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: It is constitutionally wrong. I condemn his statement..... (*Interruptions*)

श्री गिरिराज सिंह : सभापति जी, मैंने पहले ही कहा है कि माननीय महताब साहब सदन के एक अनुभवी सांसद हैं और इन्होंने विषय उठाया था। वह पूरी स्थिति से भी अवगत हैं कि प्रधान मंत्री आवास योजना का किस ढंग से आकलन किया गया और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मैं आपके सामने दो बातें रखना चाहूंगा। जब प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम सबको घर देंगे तो वर्ष 2011 के डेटा के मुताबिक, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ... (व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I am yet to get a copy of the statement of the hon. Minister. ... (*Interruptions*)

Secondly, let me raise the issue and subsequently, the hon. Minister can give his statement. ... (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY : Please supply the statement to Shri Bhartruhari Mahtab. Their names are there. They should be given a copy of the statement. आप भर्तृहरि महताब को बोलिए कि कॉपी दे दीजिए। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I think you have already put the question. That is why....

... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I only mentioned the item number.

HON. CHAIRPERSON: Sorry. Please continue.

श्री गिरिराज सिंह : माननीय सभापति महोदय, आपने आदेश दिया, इसलिए मैंने इस विषय को रखा। महताब साहब, आप अपना विषय उठाएं, मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री भर्तृहरि महताब : सर, उस समय थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था, इसलिए. There was a little bit of miscommunication. मैं इस हाउस को यह बताना चाहता हूँ कि 8 तारीख को क्वेश्चन-आंसर के समय हमारे प्रश्न के ऊपर मंत्री जी ने बताया था।

सभापति महोदय, मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि 31 मार्च, 2018 को प्रारंभिक समय सीमा के साथ अतिरिक्त छोटे हुए परिवारों की पहचान के लिए आवास प्लस सर्वे सीमा को चार बार बढ़ाया गया है। मैं यह ओडिशा के संबंध में कह रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके आदेश 30 जून, 2018, 30 सितम्बर, 2018, 30 नवम्बर, 2018 और 7 मार्च, 2019 से चार बार समय बढ़ाया गया है। एक वर्ष का समय देने के बाद आठ लाख, 17 हजार आवास एलॉटेड हैं, जिन्हें इन्होंने एलॉट नहीं किया है। यह मंत्री जी का उस दिन का वक्तव्य हाउस में है। उन्होंने जो चार डेट्स बताए थे, मैं उन चार डेट्स पर डिसप्यूट नहीं कर रहा हूँ। हमारे सामने तीन चीजें हैं। मैं ओडिशा के बारे में अपनी बात हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। Identification of eligible but left-out families could not be completed because of preoccupation of field functionaries in the General Election 2019 work for both Parliament and State Assembly. आपने जो चार डेट्स दिए हैं, वे चार डेट्स हैं – जून, सितम्बर, नवम्बर और मार्च। उस समय के छः महीने पहले से ही टोटल इलेक्शन प्रॉसेस शुरू हो जाता है और पंचायत के कर्मचारी एवं जिला के अधिकारी लोग enumeration के वोटर लिस्ट तैयार करने एवं अन्य कामों में जुटे रहते हैं। इसलिए इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ।... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति महोदय, मुझे जाने की अनुमति दीजिए ।

माननीय सभापति: धन्यवाद मुलायम सिंह जी ।

श्री भर्तृहरि महताब : आज भी ओडिशा में नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कत है । अभी वहां 30 जिले हैं । एक जमाना था, वर्ष 2017-18 में 17 जिले left wing extremists-affected districts थे और इसके साथ वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम थी । वर्ष 2019 में फणी साइक्लोन आया । हमारी वोटिंग पूरी हो गई, पर काउंटिंग नहीं हुई थी । उस अप्रैल महीने के अंत में काफी जोर से साइक्लोन आया, उस साइक्लोन का नाम फणी था । उसने करीब 14 जिलों को अफेक्ट किया । Immediately after the cyclone, प्रधान मंत्री जी ओडिशा गए थे । वहां हमारे ओडिशा के मुख्य मंत्री, नवीन पटनायक जी ने प्रधान मंत्री जी का अटेंशन ड्रा किया कि फणी से अफेक्ट होने के कारण, जो कोस्टल एरियाज हैं, पहले से भी इंदिरा आवास योजना के तहत जो घर मिले थे, प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत जो घर मिले थे, वे सारे धाराशायी हो गए हैं । वे गरीब हो गए हैं, उनके लिए पक्के मकान की आवश्यकता है । इसलिए आप कुछ ज्यादा मंजूर करिए । एक लाख, 84 हजार मकान केन्द्र सरकार के यहां से मंजूर हुए हैं, पर अब तक हमारे ओडिशा में एलॉट नहीं हुए हैं । इसलिए Identification of eligible households through जो आवास प्लस पोर्टल के बारे में कहा गया है, यह जो विंडो खुली थी, वह 7 मार्च, 2019 तक ही खुली थी । State could not complete the identification within the scheduled time because of preoccupation of Government machineries in General Election 2019 work and network connectivity issue, जिसके बारे में मैंने कहा है । After the cyclone Fani, the Awas Plus window was opened during September and October, 2019 for a period of one month only.

वह दो स्टेजेज में हुआ था । आपने सितम्बर में कहा था और उसे खत्म होते-होते दशहरा आ गया । मेरी जानकारी के अनुसार बिहार में दशहरा अच्छी तरह

से मनाया जाता है और अक्टूबर-नवम्बर महीने में दिवाली व अन्य त्योहार आ जाते हैं। उसी समय आपने यह विंडो खोलने का टाइम दिया है, उसमें काम नहीं हो पाया। ये सारी दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं है कि केन्द्र सरकार को ये सारी बातें ओडिशा सरकार की ओर से नहीं बताई गई थीं, वे सारी बातें बताई गई थीं।

Odisha has requested the Ministry of Rural Development time and again for opening of Awas Plus window for a period of one month more to cover the other eligible households. Since Awas Plus window was not opened, the State identified, on its own, the eligible households which could not be enlisted in the Awas Plus List, through the State developed rural housing portal. The details of 6.65 lakh eligible households are entered in the rural housing portal.

Sir, the Ministry of Rural Development allotted a target of 8,17,000 houses to Odisha in the year 2021-22 and for this, the hon. Chief Minister has written a letter and expressed his gratitude to the Prime Minister in the month of December last year.

I mentioned about this the other day also. I hope the Minister will appreciate that the problem today is, those households that have been identified were for Fani cyclone affected districts. Fani cyclone districts are the coastal districts of our State. He will definitely say, 'I am yet to see the statement'. But the other day when he was replying, he said, हमने आपको एलॉट कर दिया, पर आपने डिस्ट्रिब्यूट नहीं किया, क्यों नहीं किया? इससे एक डिस्क्रिपेंसी होती। कल आपकी पार्टी के लोग घूम-फिरकर यही कहते कि आपने कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्ट्रिब्यूट कर दिया, लेकिन हमारे जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको नहीं दिया। वास्तव में, फेनी के लिए जो आइडेंटिफिकेशन हुआ था, वह प्रधानमंत्री के एलोकेशन करने के बाद, वह केवल 14 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है और बाकी जो 16 डिस्ट्रिक्ट्स रह गए हैं, जो लेफ्ट विंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ट्राइबल

डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कम्पैरिटिवली जो अंडर-डेवलपड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है ।

इसलिए आज मेरा यही कहना है कि आप विंडो खोलिए । अब धीरे-धीरे नॉरमैलसी आ रही है, सिस्टम चल पड़े हैं, सौ परसेंट वर्कर्स काम पर आ रहे हैं । अभी मौका है । अभी तो पंचायत इलेक्शन भी चल रहे हैं । अगर आप 10 तारीख के बाद 15 दिनों के लिए या एक महीना के लिए विंडो खोल दें, तो ओडिशा ने जो लिस्ट तैयार रखी है, उसे वह आपके पास भेज देगा ।

अभी हाल ही में आपने कर्नाटक को विंडो दिया हुआ था । कर्नाटक को विंडो देने से करीब 18 लाख पीएमएवाई के तहत आपने आवास मंजूर किए हैं । मुझे दूसरे राज्यों के बारे बताने की आवश्यकता नहीं है । ओडिशा की जो दिक्कतें हैं, उनके बारे में तीन साल से हम केन्द्र सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी का शुक्रगुज़ार हूँ कि जब हमारी पार्टी की ओर से उनसे निवेदन किया गया था, तो उन्होंने तत्काल हमें टाइम दिया और इसके बारे में उन्होंने एक बैठक भी कराई । यह अलग बात है कि 20 तारीख को जो लास्ट बैठक थी, अस्वस्थ होने के कारण मैं उस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया । फिर भी, इन्होंने बाकी लोगों को समझाया कि क्या दिक्कतें हैं और इन्होंने हमारे अध्यक्ष का ध्यानाकर्षण किया था । इसमें तीन चीजें हैं । Please allow migration of 6.65 lakh eligible households identified through the rural housing portal to Awas Plus List, sanction 1.84 lakh PMAY-Grameen special houses for the Fani cyclone affected families] and also open the Awas Plus window for one month to cover the eligible households which might have been missed from Awas Plus List and rural housing portal.

These are my three questions on which I would like to have answers from the hon. Minister. Thank you

HON. CHAIRPERSON : Thank you very much, Shri Mahtab-ji.

Now, four other Members are also allowed to seek clarification or putting questions. So, I would request you to please confine to your specific questions.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): माननीय सभापति जी, हम लोक सभा अध्यक्ष जी के आभारी हैं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने रोटी, कपड़ा और मकान, जो भारत की बेसिक समस्याएं थीं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया। माननीय मंत्री जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हम दोनों 30-32 सालों से पारिवारिक हैं। मंत्री जी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं सांसद बनकर वर्ष 2009 में आया तब इसके लिए बजट 35 हजार करोड़ रुपये था। बाद में 45 हजार करोड़ रुपये हुआ और उसके बाद 65 हजार करोड़ रुपये हुआ। लेकिन जब माननीय मोदी जी प्रधान मंत्री जी बने, तब उन्होंने इस बजट को एक लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये किया। इसे नोशनल नहीं किया, इन्होंने सचमुच किसी को लखपति बनाने के लिए मकान कैसे बनाया जाता है, वह किया।

महोदय, प्रधान मंत्री आवास योजना के सबसे जरूरतमंद लोग ऐसे हैं, जिनके पास लैंड नहीं है। इसमें लैंड एक्वायर करने के लिए राज्य सरकार के साथ ज्यादा सुविधा नहीं दी गई है। जो बेसिक उद्देश्य है कि हमें गरीबों को घर देना है, उसके लिए मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इस योजना में राज्य सरकार के साथ ऐसी स्थिति बनाइए जिसमें राज्य सरकार या तो लैंड एक्वायर करके दे या आप उस लैंड को एक्वायर करने के लिए पैसा दें। मेरे मित्र उदासि जी के क्षेत्र के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपये मिले हैं और पूरे कर्नाटक को 18 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। जीआईएस जिओ टेगिंग के तीन प्रोसेस हैं। उसका प्रोसेस है कि पहले पंचायत से होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट से होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट से यहां आता है। इस कारण यह प्रोसेस इतना लम्बा हो जाता है कि उसका परपस खत्म हो जाता है। यह बहुत मुश्किल तरीका है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। हम जिस जिले से आते हैं वह एस्पेशनल डिस्ट्रिक्ट है। आप भी मानते हैं कि 114-115 जिले ऐसे हैं। हमें एस्पेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए

अलग से व्यवस्था करनी चाहिए । हम जिस इलाके से आते हैं, मंत्री जी संयोग से वहां से वाकिफ हैं । प्रत्येक साल इस इलाके में आग लग जाती है । यदि वह बीपीएल नहीं है या इस योजना के लिए पात्र नहीं है, तो आग लगने के बाद उसका पूरा घर खत्म हो गया । आपको आग लगने वाले घर के लिए भी अलग से व्यवस्था करनी चाहिए । इसी तरह से बारिश या बाढ़ की स्थिति भी है । उनके लिए भी आपको व्यवस्था करनी चाहिए ।

महोदय, पहले इंदिरा आवास के नाम से ...* कांग्रेस पार्टी देती थी, वह घर नहीं बन पाया या कागज पर ही बना हुआ है । उन जिलों में जब हम दिशा कमेटी की मीटिंग लेते हैं तो पता चलता है कि उन्हें घर कभी नहीं मिला । क्या ऐसे पुराने केसेज को पूरा करने के लिए आप नया फंड दे रहे हैं?

माननीय सभापति : लैंड की प्रॉब्लम है । लैंडलेस, होमलेस बहुत बड़ा मामला है । केरल में एक स्कीम है, उसमें लैंड को परचेज करना, अलाट करना है ।

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Gaurav Gogoi.

SHRI S.C. UDASI (HAVERI): One minute, Sir.

Sir, as you said and also as Shri Nishikant Dueby explained, there are two types of persons.. One is a homeless person where he does not have land; and the other is where one is having land. लैंडलेस के लिए जैसा दुबे जी ने बताया for landless persons, as he said, you should give directions to the State Governments. कई जगहों पर लोकल पंचायतों में गवर्नमेंट लैंड नहीं होती है और he has to acquire it from private party. Now, the land cost has also gone up. So, to acquire land, if the Government land is there, the District Administration will acquire it through the Government. They will allot sites to the site-less. But when there is no Government land available, the State Government has to acquire it from a private party. उसके लिए प्रावधान और कास्ट शेयरिंग यदि भारत सरकार करती है, तो बेहतर होगा ।

श्री भर्तृहरि महताब : फारेस्ट लैंड ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कत होती है ।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): धन्यवाद सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय बिहार से आते हैं, इसलिए बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ और कटाव की जो समस्या होती, है उस समस्या से वह वाकई बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे । वही समस्या देश के विभिन्न राज्यों में है और वही समस्या असम में भी है । वे लोग, जो बाढ़ और कटाव से ज्यादातर प्रभावित होते हैं, क्या उनको विशेष रूप से सहायता दी जा सकती है? क्या उनको प्राथमिकता दी जा सकती है? आप भी यह महसूस करते होंगे कि जो बिहार और असम के कटाव प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां के लोगों की किस प्रकार से मदद की जाए । महोदय, हमारे यहां असम में जनजाति के जो लोग हैं, वे अपने घर को पिलर्स पर बनाते हैं, ताकि बाढ़ के समय यदि पानी भी आए तो उनको अपना घर न छोड़ना पड़े, क्योंकि उनके घर थोड़े ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन ऐसे घर बहुत कमजोर होते हैं । ये क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं होते हैं । बाढ़ में इस तरह के घरों को बहुत नुकसान हो जाता है । जो दूसरे डिजाइन्स के घर हैं, जो फ्लड का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्या उनके डिजाइन्स को भी हम प्रधान मंत्री आवास योजना में रख सकते हैं? इस मुहिम का उद्देश्य हाउसिंग फॉर ऑल है । जब हम बाढ़ और कटाव से प्रभावित लोगों को घर नहीं दे सकते, तो फिर इस मुहिम का सपना कि सबको घर मिले, वह कैसे सच होगा?

महोदय, आज हो यह रहा है कि ये लोग जो बाढ़, कटाव के कारण बिखर जाते हैं, वे कहीं और जाकर अपना घर बनाते हैं । उनके पास न कागज होता है और न ही उनके पास कोई ठोस सबूत होता है । अंततः एक समय के बाद सरकार का बुलडोजर आ ही जाता है । जब सरकारी बुलडोजर आता है तो फिर इनको दोबारा रिफ्यूजी की तरह टिन की छत के नीचे रहना पड़ता है । आखिर हम कौन सी मुहिम की तरफ जा रहे हैं? अगर हमने वास्तव में हाउसिंग फॉर ऑल का सपना देखा है तो फिर अगर कोई तकनीकी समस्या है, चाहे वह भूमि अधिग्रहण को लेकर हो, डिजास्टर को लेकर हो, उसका हम ब्यूरोक्रेटिक तरीके से ऐसा हल क्यों नहीं निकालते हैं कि यह हमारा हर साल का टार्गेट है और इस टार्गेट को हमें मीट करना है? ग्राउंड लेवल पर जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको आप और

हम सब देखते हैं, उनका हम कैसे समाधान कर सकते हैं? कटाव और बाढ़ के कारण बेघर होकर जो लोग एनक्रोचमेंट में रहते हैं, तो सबसे पहले बुरी नजर उन पर पड़ती है। असम में सबसे पहले उनको ही बुरी नजर से देखा जाता है। अगर ये समाज के किसी विशेष वर्ग से हैं, तो उनके घरों पर सबसे पहले बुलडोजर चलाया जाता है। इस वजह से यह एक सामाजिक समस्या बन गयी है। समाज में एक तरह से तनाव भी पैदा होता है, जब समाज का विशेष वर्ग, चाहे वह जनजाति का हो या माइनॉरिटी का हो, उनके घरों पर सबसे पहले बुलडोजर चलता है।

महोदय, बाढ़, कटाव और डिजास्टर को लेकर मेरे क्षेत्र के अलावा बहुत से क्षेत्रों, जैसे चेन्नई में आप देखें तो अनसीजनल रेन और हिल स्टोन्स के कारण वहां तथा मेघालय, असम आदि में बहुत-से घर आज टूट चुके हैं। अतः नैचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड घरों को लेकर क्या प्रधान मंत्री आवास योजना में हम थोड़े-से अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, ताकि यह और बढ़िया, बेहतर और कॉम्प्रीहेन्सिव स्कीम हो? धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री संजय काका पाटिल जी - (उपस्थित नहीं)

श्री हसनैन मसूदी जी।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग) : शुक्रिया चेयरपर्सन साहब। हरेक वेलफेयर स्टेट का यह लक्ष्य होता है कि जो शेल्टर लेस हैं, जो हाउस लेस हैं, उनके लिए व्यवस्था की जाए, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसेज उपलब्ध कराए जाएं। अफोर्डेबल हाउसिंग प्राइम मिनिस्टर साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इससे पहले भी इस पर फोकस रहा है, लेकिन हमारी परेशानी है कि जो भी वेलफेयर स्कीम अनाउंस होती है, उसके लक्ष्य अचीव नहीं होते हैं। जैसे कि आप देखिए कि प्रधान मंत्री आवास योजना (अर्बन) में 1 करोड़ 14 लाख का टार्गेट बनाया गया, लेकिन केवल 52 लाख ही अचीव हो सका। यह अचीवमेंट 50 परसेंट से कम रहा। हमारे पास रूरल के जो फिगर्स हैं, वे फेक हैं, वे सही नहीं हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों से लोग क्यू में खड़े हुए हैं, लेकिन खिड़कियां नहीं खुल रही हैं। मैं तो कहता हूं कि जेहन की भी खिड़की खुलनी चाहिए और इसकी भी खिड़की

खुलनी चाहिए, पोर्टल खुलने चाहिए । एप्लिकेशन्स अपलोड नहीं हो रही हैं । वे लोग जो पूरी तरह से एलिजिबल हैं, वे इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं । अतः अफोर्डेबल हाउसिंग का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसे हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं । हमारे यहां पुलगाम, शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा में हजारों लोग क्यू में हैं और इंतजार में हैं कि कब खिड़की खुले, कब पोर्टल में उनके आवेदन अपलोड हों ।

यह मेरी पहली गुजारिश होगी । जैसा कि महताब जी ने कहा कि यह खिड़की का, जो पोर्टल का मामला है, एक बार एक सीमित वक्त के लिए इसे खोलिए । जो दूसरी बात है, जो आगे जायज की बात कर रहे हैं, मैंने फील्ड में देखा है कि क्या हो रहा है? उसमें एक बार चीं नहीं किया तो फिर वह अपना प्रयास नहीं कर सकता है । देखिए, जब तक वह क्यू में खड़ा है, जब तक उसका सैंक्शन होता है तब तक वह दायें-बांये से कुछ रकम जोड़कर बुनियाद बनाता है, अन्य कुछ बनाता है । ये कार्यकर्ता जो हैं, विलेज डेवलपमेंट वर्कर जो हैं, वे आकर उससे कहते हैं कि आप इनएलिजिबल हो गए, क्योंकि आपने खुद एक प्रयास किया है । यह डिसेबिलिटी खत्म होनी चाहिए ताकि वे अपने प्रयास से भी थोड़ा-बहुत शुरूआत करे, क्योंकि जो स्काईरॉकिटिंग प्राइजेज़ हैं, तैश्मियर करने की जो कीमत है, वह बढ़ती जा रही है । हरेक का प्रयास होता है कि जब तक मुझे सवा लाख रुपये की सहायता मिलती है तब तक मैं कुछ न कुछ अपने से प्रयास करूँ । यह जरूरी है । पहले जो विंडो है, हर एक विंडो, जेहन की भी और यह विंडो भी खुलने की बात है । बहुत-बहुत शुक्रिया ।

श्री जगदम्बिका पाल: महोदय, मैं भी साथ ही साथ बोल लेता हूँ ।... (व्यवधान)
मैं मेंबर भी हूँ । ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, only those Members, who have given their notices, will be allowed to speak.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Let the hon. Minister reply. After that, you can seek your clarification. मंत्री जी के बोलने के बाद आपका कोई क्लेरिफिकेशन हो तो पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ।

मंत्री जी, आप बोलिए ।

... (*Interruptions*)

श्री गिरिराज सिंह : महोदय, जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मुझे लगा कि माननीय महताब साहब के प्रश्नों का जवाब देकर मैं इसे कनक्लूड करूँगा । हमारे सदन के जिन माननीय सदस्यों को आपने बोलने का मौका दिया है, चाहे माननीय निशिकांत जी हों, चाहे गगोई जी हों, उदासि जी हों, मसूदी साहब हों, जो लोग हैं, सबने अपनी भावना को अपने-अपने ढंग से रखने का काम किया है । मैं आपसे यही कहूँगा, मैंने तो सोचा था, मैंने पहले ही कहा कि मैं केवल ओडिशा की बात कहकर, लेकिन अब आप मुझे इस सदन में अपनी बात रखने की इजाजत दें, मैं थोड़ा-सा समय, दो-चार मिनट ज्यादा ले लूँगा ।

महोदय, मेरे प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि यह विकास केवल मेरे कारण नहीं हुआ है, विकास पहले से भी लोग करते रहे हैं । जिस इंदिरा आवास योजना की चर्चा आई, उसमें क्या था? इंदिरा आवास योजना में 75 हजार रुपये थे, माननीय सांसद ने जिक्र किया है ।

जब मोदी जी को लगा कि 75 हजार रुपये में वह आवास नहीं बन सकता है तो उन्होंने वर्ष 2016 में कहा कि सबको हम घर देंगे । सबको घर देने की बात हुई । इंदिरा आवास का कार्यक्रम 30 साल से चल रहा था । लोगों को मिला, जितने को हो सका, कुछ का छूटा, जैसे कहा कि छूटा, लेकिन अगर आप देखेंगे कि मोदी जी किस ढंग से गरीबों के साथ जुड़े हैं, मैं उसे बाद में आपके सामने रखूँगा । वर्ष 2016 में मोदी जी ने जब संकल्प लिया, तो कोई न कोई एक आधार होगा, महताब साहब ने बड़े अच्छे ढंग से, विस्तृत ढंग से पूरी बात को रखा । वह आधार सोसियो इकोनॉमिक सेंसस 2011 हुआ । उसको देखकर यह 4.03

करोड़ आया । यह 4.03 करोड़ हमने राज्यों को भेजा । राज्यों ने क्या किया, कहा मेरे यहाँ बन गया या अपात्र हैं और उन्होंने 2.95 करोड़ की सूची हमें दी । मैंने तो 4.03 करोड़ का लक्ष्य लिया था । हमने उसको, प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में ले जाकर 2.95 करोड़ की योजना बना ली ।

जब योजना बन गई तो राज्यों को आवंटित करना स्वाभाविक था । जब राज्यों को आवंटित किया तो 3.57 करोड़ की फिगर्स आ गई । अब देखिए कि हमने 4.03 करोड़ दिया और आपने उसको शुद्ध करके 2.95 करोड़ दिया । जब हम आपको 2.95 करोड़ दे रहे हैं, तब आपने 3.57 करोड़ दिया, तब तक कैबिनेट से यह योजना 2.95 करोड़ की पास हुई । इन्होंने फिर उसमें शुद्ध-अशुद्ध करके 2.95 में से 2.15 करोड़ कहा । हम 80 लाख किसको दें, क्योंकि सोशियो इकोनामिक कास्ट्स सेंसस को आपने अपने ढंग से संशोधित किया । उसके लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर एक कमेटी बनी कि कौन लोग होंगे, जिनके पास घर नहीं होगा या मजदूर होंगे । उसके बाद री-सर्वे हुआ । इस प्रकार 80 लाख राज्यों को सुपुर्द किए और इसी का नाम आवास प्लस दिया । मैं इंदिरा आवास योजना की भी चर्चा करूँगा ।

अब मैं खास कर ओडिशा की चर्चा करता हूँ, जिस पर बड़े अच्छे ढंग से, बड़ी बेबाकी से इन्होंने सारी बात को रखा । राज्यों को चार बार समय दिया गया कि आप आवास प्लस के 80 लाख मकान अपने-अपने आवास पोर्टल पर जारी करें । उसमें इन्होंने अपनी बात कही कि हम जारी नहीं कर पाए । यह राज्यों से गलती हुई, जो जारी नहीं कर पाए ।

श्री भर्तृहरि महताब : मैंने कारण भी बताए ।

श्री गिरिराज सिंह : हाँ, कारण भी बताए । मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ । जैसे आपने अपनी बात रखी है कि चुनाव हुआ, यह हुआ ... (व्यवधान) मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ । महोदय, जब पहली बार 4.03 करोड़ था, तो ओडिशा का लक्ष्य 41 लाख 72 हजार 720 हो गया । उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं हमारे पास इतने नहीं हैं । उन्होंने 27 लाख 64 हजार 146 संशोधित करके दिए । ये पात्र परिवार श्रेणी में आए । कैबिनेट में पास होने के बाद फिर इनको लक्ष्य

दिया तो 27 लाख 64 हजार 146 में से केवल 18 लाख 36 हजार 613, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की है। अब आप बताइये कि मैंने तो पूरे देश के साथ एक ही व्यवहार किया। चाहे झारखंड हो, वैसे मेरे पास सारे राज्यों के आंकड़े हैं। अभी कर्नाटक की चर्चा हुई है। कर्नाटक, ओडिशा शुरू से अंत तक हमारे पोर्टल के साथ जुड़े रहे। कर्नाटक ने अपना पोर्टल बनाया था और स्टेट पोर्टल पर उसने सारे नाम एकत्रित किए।

उसने हमारे पोर्टल पर नहीं दिया और हमने उनको एलॉट नहीं किया। उसके बाद अभी कुछ महीने पहले वहां की सरकार एमआईएस पोर्टल का प्रयोग कर रही थी और आवास सर्वे भी कर्नाटक ने अपने एमआईएस पोर्टल पर किया। यह हमारे पोर्टल पर नहीं आया तो हमने उनको नहीं दिया। कर्नाटक ने अपने पोर्टल का प्रयोग कर आवास प्लस सर्वे का काम पूरा किया, परन्तु सर्वे की अंतिम तिथि की समय सीमा 07 मार्च, 2019 थी।

उसमें अपना डेटा नेशनल आवास पोर्टल के साथ नहीं जोड़ पाए तो हमने नहीं दिया। जब उन्होंने कहा कि मैं तो एक भी नहीं ले पाया, आज इलैक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, आप देख लें कि मेरे पोर्टल पर डेट सहित उसी डेट के पहले सब है। तो मैंने डेट के हिसाब से पोर्टल से देने की अनुमति दी। यह पता लगा कि जिस राज्य को एक भी आवास नहीं दिया, उन्हें यह अवसर दिया कि आप अपना डेटा अपलोड करें। ... (व्यवधान) आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ओडिशा को हमने चार बार देश के साथ मौका दिया, दुर्भाग्य से फनी तूफान आया, जिसकी चर्चा हमारे माननीय सदस्य ने की। उसमें भी 15-15 दिनों का किया, लेकिन ओडिशा उस पोर्टल पर भी केवल 14 जिलों के, अगर 30 जिले हैं, तो जो आपके पूरे आंकड़े थे, उन तीस जिलों के आंकड़े थे, तो आपने उस समय काम नहीं किया। मेरा आग्रह होगा कि कर्नाटक की अलग स्थिति थी। हमने इसलिए दिया कि पूरे देश में कर्नाटक ही ऐसा राज्य था, जिसको एक भी नहीं था। मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम पूरे देश में एक समानता के साथ कर रहे हैं। हम किसी के साथ न्याय और अन्याय की भाषा या व्यवहार में नहीं करेंगे। महताब साहब को भी कहूंगा कि आपके साथ भी अन्याय न कर रहा हूँ और न ही करूंगा। जहां तक मेरे ऊपर है, केंद्र सरकार की योजना है कि सबको आवास उपलब्ध

कराना है, मैंने उसकी पूरी स्थिति रख दी है कि 74 लाख इंदिरा आवासों को मोदी जी ने पूरा करवाया है । 30 साल में अगर आवास बने, उसको देखेंगे तो 3 करोड़ 26 लाख 30 साल में, मैंने उस दिन भी कहा था और हमने सात साल में 2 करोड़ 46 लाख मकान बनाने का काम किया और उसके लिए राशि भी दुगुनी की है । एक लाख 20 हजार घर के लिए मनरेगा से 90 दिन और 95 दिन की मज़दूरी उसमें एड की है । ... (व्यवधान) इसके अलावा हिली स्टेशन के लिए, जो हिली एरियाज में हैं और एसटी इलाकों में हैं, इन सबके लिए 20 के बदले 30 है । मिला-जुला कर घर भी दिया, राशि भी दुगुनी दी, बिजली भी दी, शौचालय भी दिया और साथ ही साथ उज्वला योजना का लाभ भी दिया । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अगर मोदी जी की प्रतिबद्धता देखेंगे तो सन् 1985 से 2014 तक प्रति वर्ष केवल 11.21 लाख घर बने । अगर आप देखेंगे तो प्रति माह 94 हजार घर बने । मोदी जी का आंकड़ा देखेंगे तो 35.19 लाख घर प्रति वर्ष बनाने का काम अभी तक हमने किया है और प्रति माह 2.62 लाख बनाए । उन्होंने प्रति दिन 3,073 घर बनाए और हमने 8,581 प्रति दिन बनाने का काम किया है ।

अगर साफ देखें तो राज्यों ने हमारे 4.03 करोड़ आवास की सूची में जो काम किया है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि उन्होंने भी ईमानदारी से देखा होगा, लेकिन मेरी भी मजबूरी है । हमने 2.95 करोड़ आवास को एक योजना में लिया । कई मित्रों ने कहा कि कटाव होता । एक 'हिट एण्ड रन' वाले पार्टी से थे, वे चले गए । गौरव जी ने हिट किया और वे चले गए । अगर वे रहते तो मैं उनकी बातों का जवाब देता । भूमिहीन के लिए राज्यों के सचिव की एक कमेटी है, भारत सरकार बराबर उसकी समीक्षा करती रहती है, उनको प्रेरित करती रहती है । जैसे आपने केरल का उदाहरण लिया, बिहार में भी 60,000 रुपये उन्होंने घर के लिए किया है । ओडिशा में भी कुछ हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन भूमिहीनों को देने के लिए हम राज्यों के साथ बराबर सम्पर्क में हैं ।

माननीय निशिकान्त जी ने जमीन की बात की थी, आकांक्षी जिले की बात की है । यह स्वाभाविक है कि हम आकांक्षी जिलों में सारी योजना को, जो उस जिले में आवंटित लक्ष्य है, उस लक्ष्य में प्रायोरिटी के साथ हम कर रहे हैं ।

महोदय, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि भारत सरकार ओडिशा के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं करेगी, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Let the Minister conclude.

श्री गिरिराज सिंह : मैंने तीनों प्रश्नों का जवाब दिया है। अगर फिर से डिटेल्स में कहेंगे तो मुझे फिर उसी भाषा को पढ़ कर सुनाना पड़ेगा।

मैं यही कह रहा हूं कि ओडिशा के साथ न भेदभाव हुआ है और न होने देंगे। यह मैं आश्वस्त करता हूं। मोदी जी का संकल्प है - 'सबका साथ, सबका आवास'।

माननीय सभापति: जगदम्बिका पाल जी, क्या आपका कोई क्लैरिफिकेशन है?

श्री जगदम्बिका पाल: अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से कह दिया है। निश्चित तौर से, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 4.03 करोड़ की हमारे पास सूची आई है और हमने उसका सर्वे करके भेजा है और जिस तरह से उसमें 2.95 करोड़ की आई, उसको दिया, तो निश्चित तौर पर वर्ष 2022 तक आवास देने की सरकार की जो मंशा थी, उसके लिए वह प्रतिबद्ध भी है, कटिबद्ध भी है। 2 करोड़ 46 लाख को ग्राउण्डेड कर दिया, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देता हूं।

उत्तर प्रदेश में जहां पिछली सरकार में, निश्चित तौर पर प्रधान मंत्री आवास 'ज़ीरो' था, इस साढ़े चार सालों में योगी जी की सरकार ने 42 लाख हाउसेज बनाए हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: जगदम्बिका पाल जी, आप क्लैरिफिकेशन पूछिए।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जैसा कि उन्होंने कर्नाटक के साथ 'दयालु, कृपालु' के रूप में काम किया कि वहां एक भी आवास नहीं हुआ तो उन्होंने इसकी विंडो को खोलकर 18

लाख दिया, इसके लिए मैं कर्नाटक की तरफ से और देश की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ । . . . (व्यवधान)

ऐसे ही सिद्धार्थ नगर मेरा जनपद है और आकांक्षी जिला है, जैसे हमारे निशिकान्त जी का जिला है, उसके तीन ब्लॉक्स में एक भी आवास नहीं गया है । जैसे इन्होंने कर्नाटक के साथ दया की कि वहां एक भी आवास नहीं गया तो उन्होंने किया, वैसे ही मेरे जिले के तीन ब्लॉक्स में एक भी आवास नहीं गया है, अगर वे उन तीन ब्लॉक्स में आवास को दे देंगे तो अच्छा होगा । आपने दूसरी जगह दिया है, इसलिए ऐसा लगता है कि सारे ब्लॉक्स में आवास बहुत तेजी से मिल रहा है, लेकिन उन तीन ब्लॉक्स में वह पोर्टल पर नहीं आ पाया था । . . . (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: माननीय प्रधान मंत्री जी, मई, 2019 में ओडिशा गए थे और उस हिसाब से ओडिशा सरकार ने 1,84,000 पी.एम.ए.वाई. आईडेंटिफाई किए हैं । प्राइम मिनिस्टर ने एस्योर किया था । क्या वह एस्योरेंस आप नहीं मानेंगे? उसके साथ छः लाख के लिए पी.एम.ए.वाई के विंडो खोलने की बात थी । आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ 94 लाख पी.एम.ए.वाई. आवासों की मंजूरी हुई है ।

श्री गिरिराज सिंह : सभापति जी, माननीय महताब साहब से मैंने आग्रह किया है और सदन से भी कहा है कि ओडिशा के साथ हम कोई भेदभाव नहीं होने देंगे ।